न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री मनु पिता केहरा डोडा **बनाम** श्री वक्सी पिता ईश्वर रोत वगैरह

पत्रावली संख्या-- 43 / 2023

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
	दिनांक 12.06.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा पगारा पटवार हल्का बेडा में खाता संख्या 115 नया 116 पुराना के खसरा नम्बर 695 रकबा 09 बीघा 05 बीस्वा स्थित है, जिसमे वादी अपने बाप दादाओ के समय से काबिज है और जमीन मे बाड भी लगी हुई है और उक्त जमीन मे वादी कुछ जमीन पर काश्त करता है और कुछ जमीन मे घास काटता आ रहा है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को जबरन कब्जा करने के लिये झगड़ा फसाद करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पावन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की भूमि में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिक्रमण स्वयं करें न ही अपने मित्र ऐजेन्ट, मजदुरों से करावें। वादग्रस्त आराजी का कोई भी हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करें न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पदित करें, जिससे राजस्व रिकार्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा न ही प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करें। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण प्रथ्मदृष्टया सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि मौजा पगारा पटवार हल्का बेडा में खाता संख्या 115 नया 116 पुराना के खसरा नम्बर 695 रकबा 09 बीघा 05 बीस्वा भूमि में मूल वाद के फैसले तक किसी प्रकार से अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें, प्रार्थी को काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, विक्रय अथवा बक्शीश न करें एवं और न ही ऐसा कृत्य, जिससे कि प्रार्थीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसे में रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा	

Scanned with OKEN Scanner